प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉमप्लेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–कासगंज एवं संत रविदास नगर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2018–19/ 7021-2 दिनांक 27/09/2018

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में एस0एन0सी0यू0 को स्थापित किये जाने हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश प्रेषित किय जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत है प्रदेश की शिशु मृत्युदर (IMR) 43 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2016) एवं नवजात शिशु मृत्यु दर (NMR) 31 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2015) जो क्रमशः राष्ट्रीय औसत 34 प्रति 1000 जीवित जन्म एवं 25 प्रति 1000 जीवित जन्म से अधिक है जिसके दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को तत्काल उचित उपचार एवं सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 02 नवीन जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों में **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई** (SNCUs) की स्थापना कर क्रियाशील किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में अनुमोदन प्रदान किया गया है। जनपद स्तर पर एस0एन0सी0यू0 के मानक एवं स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी "ऑपरेशनल गाइडलाइन" के अंश वेब साइट upnrhm.gov.in पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध है का अवलोकन कर एक आर्दश इकाई स्थापित कर क्रियाशील किया जाना है। **(आपरेशनल गाईड लाइन की छायाप्रति संलग्न)**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में अनुमोदित 02 नवीन एस0एन0सी0यू0 को स्थापित कर क्रियाशील किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं:–

1- सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की (Minor Repair and Renovation etc.) छोटी–मोटी मरम्मत हेतु रू0 4.00 लाख प्रति इकाई की दर से धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2018–19/6260, दिनांक 10/09/2018 के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

2- सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की स्थापना हेतु उपकरण एवं साम्रग्री –

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 के old FMR Code-A.2.2.1 and New FMR Code-1.3.1.1 पर One time Establishment Cost@Rs. 12.00 Lakhs पर प्रति इकाई उपकरणों के क्रय हेतु नीचे दी जा रही तालिका में इकाई की स्थापना हेतु एक बार के लिये एस0एन0सी0यू0 का विद्युतीकरण, अर्थिंग विधुत उपकरण, मेज, कुर्सी आदि अन्य तथा नीचे तालिकानुसार उपकरणों के क्रय हेतु **रू0 12.00 लाख** की धनराशि स्वीकृत की गयी है। सामग्री उच्च कोटि एवं अच्छे स्टैण्डर्ड (Standard) की होनी चाहिये।

Table- 1: Items, which can be procured at District Level

Sr.No.	Item	Quantity
1	1.5 Ton split AC	2
2	1.0 Ton Split AC	2
3	Voltage Stabilizer 4 KVA	2
4	Voltage Stabilizer 3 KVA	2
5	Revolving chairs	4
6	Revolving stool	6
7	Single beds	2
8	Bed mattresses	2
9	Pillow	4
10	Almirah	4
11	Heat radiator (Oil immersion Heater)	4
12	Refrigerator 180 ltr.	1
13	Washing machine	1
14	Vacuume cleaner	1
15	Desktop	1
16	Printer	1
17	UPS	1

नोट :– उक्त उपकरणों के क्रय से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि इन्हें पूर्व में क्रय नहीं किया गया है इसका डुप्लीकेशन न किया जाये।

Table- 2: Disposables (These items should be supplied regularly to the SNCU)

a. Disposable Items
• Cord clamp • Dee Lee's Mucus trap • Neoflon (intra venous catheter) 22, 24 & 26 G • Microdrip set with and without burette • Blood transfusion set • 3 way stop clock • Suction catheter size # 10, 12 Fr • Endotracheal tubes size # 2, 2.5, 3, 3.5 mm • Feeding tubes size # 5,6,7,8 Fr • Syringes : tuberculin, 1,2,5,10, 50 cc with needle nos. 22, 24, 26 • Sterile gloves and drapes • Chemical disinfectants : Cidex, Bacillocid, Liquid soap and detergent, sterilium, savlon, phenol, Lysol, betadine and rectified spirit • Glucostix and multistix stripes (in containers) • Capillary tubes for microhematocrit (in containers) • Baby Diapers, Cotton, surgical gauze • Pediatric infusion bottles (5% Dextrose, 10% Dextrose, Isolyte-P, Normal saline)
b. Life saving drugs for Emergency

3- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 के old FMR Code-B.16.1.2.2 and New FMR Code-6.1.1.2.b पर Procurement of equipments for SNCUs पर **एस0एन0सी0यू0** के लिये 12 शैय्याओं हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु प्रति इकाई रू0 25.00 लाख की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। **आवश्यक उपकरणों की सूची (तालिका–01) पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।**

4- <u>वित्त पोषण –</u>

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में दिये गये अनुमोदन के क्रम में 02 नवीन जनपदों के जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में 12 शैय्याओं की सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की स्थापना किये जाने हेतु old FMR Code- A.2.2.1 and New FMR Code-1.3.1.1 पर One time Establishment Cost हेतु प्रति इकाई रू0 12.00 लाख की दर से तथा old FMR Code-B.16.1.2.2 and New FMR Code-6.1.1.2.b पर Procurement of equipments for SNCUs, के लिये रू0 25.00 लाख की दर से धनराशि नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार स्वीकृत की गयी सीमा तक व्यय किया जाना है।

उक्त के क्रम में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

District wise Funds Allocation for 02 New SNCU FY 2018-19					
S. N.	Name of Districts	Name of Units	Approved for One time Establishment Cost of 2 new SNCU@Rs.12lakhs/ SNCU (In Rs.)	Procurement of Equipments for SNCUs (In Rs.)	**Total Fund Approved to DHS (In Rs.)**
	Old FMR Code		*A.2.2.1*	B.16.1.2.2	
	New FMR Code		*1.3.1.1*	6.1.1.2.b	
1	Sant Ravidas Nagar	Sant Ravidas Nagar, DWH /SNCU	1200000	2500000	**3700000**
2	Kasganj	Kasganj, DWH/SNCU	1200000	2500000	**3700000**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

- **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के लिये उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन स्तर पर दर अनुबन्ध /क्रय किये जाने वाले आवश्यक उपकरणों की सूची (तालिका–02) पत्र के साथ संलग्न प्रेषित की जा रही है।**

- **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) हेतु दिशा निर्देशानुसार आवश्यक अन्य उपकरणों का नियमानुसार जनपद स्तर पर क्रय प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय द्वारा किया जायेगा।**

5- मानव संसाधन की व्यवस्था हेतु जनपदों में स्थापना कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही मानव संसाधन हेतु दिशा निर्देश एवं धनराशि अलग से प्रेषित किये जायेगें।

नोट –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय,** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
8. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
9. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
10. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग एवं अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा के इन्तजाम सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व चिकित्सालय प्रशासन/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) हेतु निर्माण कार्य/स्थापना का कार्य धनराशि प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, द्वारा सुनिश्चित किया जाये। जिसकी सूचना प्रमाण पत्र सहित महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को तत्काल उपलब्ध करायें ताकि क्रियाशील किये जाने के लिये अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 08874819345 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2017–18/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ उ0प्र0।
4. ज़िलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति जनपद–कासगंज एवं संत रविदास नगर।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ एवं मिर्जापुर।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय, कासगंज एवं संत रविदास नगर को इस आश्य के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कासगंज एवं संत रविदास नगर उ0प्र0।
9. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अलीगढ़ एवं मिर्जापुर उ0प्र0।
10. हेल्थ ऑफीसर, यूनीसेफ, उ0प्र0 विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉमप्लेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–कासगंज एवं संत रविदास नगर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2018–19 / **दिनांक 27 / 09 / 2018**

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय में एस0एन0सी0यू0 को स्थापित किये जाने हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश प्रेषित किय जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत है प्रदेश की शिशु मृत्युदर (IMR) 43 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2016) एवं नवजात शिशु मृत्यु दर (NMR) 31 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2015) जो क्रमशः राष्ट्रीय औसत 34 प्रति 1000 जीवित जन्म एवं 25 प्रति 1000 जीवित जन्म से अधिक है जिसके दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को तत्काल उचित उपचार एवं सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 02 नवीन जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों में **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई** (SNCUs) की स्थापना कर क्रियाशील किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में अनुमोदन प्रदान किया गया है। जनपद स्तर पर एस0एन0सी0यू0 के मानक एवं स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी "ऑपरेशनल गाइडलाइन" के अंश वेब साइट upnrhm.gov.in पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध है का अवलोकन कर एक आर्दश इकाई स्थापित कर क्रियाशील किया जाना है। **(आपरेशनल गाईड लाइन की छायाप्रति संलग्न)**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में अनुमोदित 02 नवीन एस0एन0सी0यू0 को स्थापित कर क्रियाशील किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं:–

1- सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की (Minor Repair and Renovation etc.) छोटी–मोटी मरम्मत हेतु रू0 4.00 लाख प्रति इकाई की दर से धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2018–19 / 6260, दिनांक 10 / 09 / 2018 के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

2- सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की स्थापना हेतु उपकरण एवं साम्रग्री –

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 के old FMR Code-A.2.2.1 and New FMR Code-1.3.1.1 पर One time Establishment Cost@Rs. 12.00 Lakhs पर प्रति इकाई उपकरणों के क्रय हेतु नीचे दी जा रही तालिका में इकाई की स्थापना हेतु एक बार के लिये एस0एन0सी0यू0 का विद्युतीकरण, अर्थिंग विधुत उपकरण, मेज, कुर्सी आदि अन्य तथा नीचे तालिकानुसार उपकरणों के क्रय हेतु **रू0 12.00 लाख** की धनराशि स्वीकृत की गयी है। सामग्री उच्च कोटि एवं अच्छे स्टैण्र्डड (Standard) की होनी चाहिये।

Table- 1: Items, which can be procured at District Level

Sr.No.	Item	Quantity
1	1.5 Ton split AC	2
2	1.0 Ton Split AC	2
3	Voltage Stabilizer 4 KVA	2
4	Voltage Stabilizer 3 KVA	2
5	Revolving chairs	4
6	Revolving stool	6
7	Single beds	2
8	Bed mattresses	2
9	Pillow	4
10	Almirah	4
11	Heat radiator (Oil immersion Heater)	4
12	Refrigerator 180 ltr.	1
13	Washing machine	1
14	Vacuume cleaner	1
15	Desktop	1
16	Printer	1
17	UPS	1

नोट :– उक्त उपकरणों के क्रय से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि इन्हें पूर्व में क्रय नहीं किया गया है इसका डुप्लीकेशन न किया जाये।

Table- 2: Disposables (These items should be supplied regularly to the SNCU)

a. Disposable Items
• Cord clamp • Dee Lee's Mucus trap • Neoflon (intra venous catheter) 22, 24 & 26 G • Microdrip set with and without burette • Blood transfusion set • 3 way stop clock • Suction catheter size # 10, 12 Fr • Endotracheal tubes size # 2, 2.5, 3, 3.5 mm • Feeding tubes size # 5,6,7,8 Fr • Syringes : tuberculin, 1,2,5,10, 50 cc with needle nos. 22, 24, 26 • Sterile gloves and drapes • Chemical disinfectants : Cidex, Bacillocid, Liquid soap and detergent, sterilium, savlon, phenol, Lysol, betadine and rectified spirit • Glucostix and multistix stripes (in containers) • Capillary tubes for microhematocrit (in containers) • Baby Diapers, Cotton, surgical gauze • Pediatric infusion bottles (5% Dextrose, 10% Dextrose, Isolyte-P, Normal saline)
b. Life saving drugs for Emergency

3- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 के old FMR Code-B.16.1.2.2 and New FMR Code-6.1.1.2.b पर Procurement of equipments for SNCUs पर **एस0एन0सी0यू0** के लिये 12 शैय्याओं हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु प्रति इकाई रू0 25.00 लाख की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। **आवश्यक उपकरणों की सूची (तालिका–01) पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।**

4- <u>वित्त पोषण –</u>

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में दिये गये अनुमोदन के क्रम में 02 नवीन जनपदों के जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में 12 शैय्याओं की सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की स्थापना किये जाने हेतु old FMR Code- A.2.2.1 and New FMR Code-1.3.1.1 पर One time Establishment Cost हेतु प्रति इकाई रू0 12.00 लाख की दर से तथा old FMR Code-B.16.1.2.2 and New FMR Code-6.1.1.2.b पर Procurement of equipments for SNCUs, के लिये रू0 25.00 लाख की दर से धनराशि नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार स्वीकृत की गयी सीमा तक व्यय किया जाना है।

उक्त के क्रम में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

District wise Funds Allocation for 02 New SNCU FY 2018-19					
S. N.	Name of Districts	Name of Units	Approved for One time Establishment Cost of 2 new SNCU@Rs.12lakhs/ SNCU (In Rs.)	Procurement of Equipments for SNCUs (In Rs.)	**Total Fund Approved to DHS (In Rs.)**
	Old FMR Code		*A.2.2.1*	B.16.1.2.2	
	New FMR Code		*1.3.1.1*	6.1.1.2.b	
1	Sant Ravidas Nagar	Sant Ravidas Nagar, DWH /SNCU	1200000	2500000	**3700000**
2	Kasganj	Kasganj, DWH/SNCU	1200000	2500000	**3700000**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

- **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के लिये उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन स्तर पर दर अनुबन्ध /क्रय किये जाने वाले आवश्यक उपकरणों की सूची (तालिका–02) पत्र के साथ संलग्न प्रेषित की जा रही है।**

- **सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) हेतु दिशा निर्देशानुसार आवश्यक अन्य उपकरणों का नियमानुसार जनपद स्तर पर क्रय प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय द्वारा किया जायेगा।**

5- मानव संसाधन की व्यवस्था हेतु जनपदों में स्थापना कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही मानव संसाधन हेतु दिशा निर्देश एवं धनराशि अलग से प्रेषित किये जायेगें।

नोट –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय,** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
8. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
9. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
10. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग एवं अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा के इन्तजाम सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व चिकित्सालय प्रशासन/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) हेतु निर्माण कार्य/स्थापना का कार्य धनराशि प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, द्वारा सुनिश्चित किया जाये। जिसकी सूचना प्रमाण पत्र सहित महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को तत्काल उपलब्ध करायें ताकि क्रियाशील किये जाने के लिये अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 08874819345 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2017–18/ 7021-2(10) तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ उ0प्र0।
4. ज़िलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति जनपद–कासगंज एवं संत रविदास नगर।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ एवं मिर्जापुर।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय, कासगंज एवं संत रविदास नगर को इस आश्य के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कासगंज एवं संत रविदास नगर उ0प्र0।
9. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अलीगढ़ एवं मिर्जापुर उ0प्र0।
10. हेल्थ ऑफीसर, यूनीसेफ, उ0प्र0 विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य